का॰ज्ञ॰सं॰ 11034/9/74-रा॰भा॰ (एकक), दिनांक 10.1.1975

विषय: विभिन्न मंत्रालयों/कार्यालयों में हिंदी टाइपिस्टों तथा मिलान करने वालों के कार्य की मात्रा के मानक।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में काम करने वाले हिंदी टाइपिस्टों और मिलान करने वालों के काम की मात्रा के मानक निर्धारित करने का प्रश्न पिछले कुछ समय से इस मंत्रालय के विचाराधीन रहा है और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में किए जा रहे हिंदी टाइपिंग के काम और उससे संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने के बाद वित्त मंत्रालय, (कर्मचारी निरीक्षण एकक, व्यय विभाग), के परामर्श से अब यह निर्णय किया गया है कि हिंदी टाइपिस्टों और मिलान करने वालों के लिए निम्नलिखित मानक निर्धारित किये जाए:-

(1) हिंदी टाइपिस्टों के लिए काम के मानक:

(क) प्रति मिनट 25 शब्द की टाइप की न्यूनतम गति को मानकर और व्यवधान और रुकावट, थकान, आनुषंगिक प्रक्रियाएं आदि कारणों के लिए छूट देते हुए, हिंदी टाइपिस्ट को प्रतिदिन 5400 शब्द टाइप करने चाहिए।

(ख) पत्र आदि के लिए, पत्र में आए हुए शब्दों की संख्या ही गिनी जानी चाहिए। पते, संबोधन, आदि के लिए हर पत्र में 60 शब्द जोड़ दिए जाएं।

(ग) सामान्य सामग्री से किए जाने वाले सीधे टाइपिंग के लिए ही उपर्युक्त मानक लागू होगा। अन्य प्रकार की सामग्री को इस आधार पर परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित प्रकार की छूट और दी जाए:-

(i) स्टेंसिल काटना	25 प्रतिशत (अर्थात 100 शब्दों को 125 शब्द माना जाए)।
(ii) कार्बन लगाकर तीन या अधिक प्रतिलिपियां तैयार करने पर	25 प्रतिशत
(iii) पांडुलिपि या हस्तलिखित सामग्री	25 प्रतिशत
(iv) विवरण	100 प्रतिशत

टिप्पणी: नए भर्ती किए गए टाइपिस्टों के लिए उनकी सेवा के प्रथम वर्ष में 5000 शब्द प्रतिदिन का मानक रखा जाए। जिन टाइपिस्टों को अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग साथ-साथ करनी होती है उनके लिए भी यही मानक रखा जाए।

(2) टाइप की हुई सामग्री का मिलान:

हर तीन टाइपिस्टों के लिए दो मिलान करने वाले रखे जाएं।